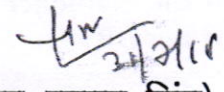


आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
31.07.2018	Board of Revenue, Bihar, Patna Service Appeal Case No.- 14 of 2018 Dist.:- Araria PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member. Matihur Rahman - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party Appearance : For the Petitioner : For the OP : <u>ORDER</u> अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। निदेशक उर्दु निदेशालय, राजभाषा विभाग श्री इम्तियाज अहमद करीमी उपस्थित। वरीय उपसमाहर्ता अररिया श्री संजय कुमार उपस्थित। यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 2835/2015 में दिनांक- 28.06.2018 द्वारा पारित आदेश के आलोक में दायर हुआ है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सेवा अपील वाद सं०- 29/2017 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक- 02.02.2018 को पारित आदेश को निरस्त (Set aside) करते हुए 8 सप्ताह के अन्दर मामले में पुर्नविचार कर Fresh Oder पारित करने का निदेश दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के अलावा जितने पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, सभी सेवा में बहाल हो चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि Quantum of Punishment Proportionate होना चाहिए था, जो इनके मामले में नहीं हुआ	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	है। वरीय उप समाहर्ता, अररिया श्री संजय कुमार ने भी इस बात का समर्थन किया। जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी को दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) नहीं है। अतः जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति के साथ निदेशक उर्दू निदेशालय राजभाषा विभाग को न्यायहित में निदेश दिया जाता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन कर मामले में पुर्नविचार कर Fresh Order पारित करें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	